



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 2016/आषाढ़ 23, 1938

No. 481]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 2016/ASADHA 23, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 688(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल (इंजीनियरी/विद्युत) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (इंजीनियरी/विद्युत) समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- सीमा सुरक्षा बल में (इंजीनियरी/विद्युत) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 की अनुसूची में, कनिष्ठ इंजीनियर उप निरीक्षक (विद्युत) के पद से संबंधित स्तंभ (7) के तहत प्रविष्टियों में कम संख्या 2 जो सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताओं से संबंधित है, की मद (ग) और (घ) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों की एवज में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(ग) चिकित्सा मानक :

(i) दृष्टि :

सहायता रहित दृश्य तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)		असंशोधित दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)		अपवर्तन	टिप्पणी
अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख		
एन6	एन9	6/6	6/9	किसी भी प्रकार का दृष्टि सुधार यहां तक की चश्मे के द्वारा भी, स्वीकार्य नहीं होगा।	— दाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की दाईं आंख उसी प्रकार बाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की बाईं आंख बेहतर होनी चाहिए। — द्विनेत्री दृष्टि की आवश्यकता है।

- अभ्यर्थियों को संहतजानु, सपाट तलवे, स्कीत शिरा या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और उनकी दृष्टि, इशहारा के द्वारा सी.पी.-III होनी चाहिए। वे मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य के होने चाहिए और कोई भी ऐसी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे कि सक्षमतापूर्वक कार्य संपादन में बाधा पड़ने की संभावना हो।



(घ) अभ्यर्थी को तकनीकी प्रवृत्ति एवं व्यवसाय परीक्षण में लिखित व प्रयोगात्मक तौर पर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा”

[फा. सं. 17/86/2015—कार्मिक/सीसुबल]

दिनेश माहुर, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण :— मूल नियम, दिनांक 14 जनवरी, 2012 को सा.का.नि. 10, दिनांक 10 जनवरी, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2016

**G.S.R. 688(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force (Engineering/Electrical) Group 'B' posts Recruitment Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the Border Security Force (Engineering/Electrical) Group 'B' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Border Security Force (Engineering/Electrical) Group 'B' posts Recruitment Rules, 2012, in the Schedule, against serial number 2, relating to the post of Junior Engineer Sub-Inspector (Electrical), in the entries under column (7) relating to educational and other qualifications required for direct recruits, for items (c) and (d) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“(c) Medical Standards:

(i) Eye Sight:

Visual Acuity unaided (NEAR VISION)		Uncorrected Visual acuity (Distant Vision)		Refraction	Remarks
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye		
N6	N9	6/6	6/9	Visual correction of any kind is not permitted even by the glasses.	In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required.

(ii) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes, must possess CP III BY ISIHARA vision, must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(d) Must qualify technical aptitude and trade test both in written and practical”.

[F. No. 17/86/2015-Pers/BSF]

DINESH MAHUR, Director (PERS)

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 14<sup>th</sup> January, 2012 vide G.S.R. 10, dated the 10<sup>th</sup> January, 2012.